प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट 'पच्चीस'

प्रश्न सं. [क्र. 120]

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा (म0प्र0)

दूरभाष : 07662-25583 फैक्स न. - 07662-25583 E-mail--deorew-mp@nic.in

क्रमांक /न्यायालयीन प्रकरण/2017/198 रीवा दिनांक 06-07-2017
प्रति,

श्री रामाश्रय साकेत
पिता श्री लल्लू साकेत
ग्राम फरहद थाना वैकुण्ठपुर जिला रीवा म0प्र0।

विषयः- रिट याचिका कमांक 5203/2016 श्री रामाश्रय साकेत विरूद्व म0प्र0 शासन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 के परिपालन में अभ्यावेदन निराकरण के संबंध में।

---000---

विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर बोलता हुआ आदेश जारी कर निराकरण के आदेश पारित किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुये याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.03.2016 को अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पालन किये जाने का अनुरोध किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में आपके अभ्यावेदन का परीक्षण किया गया एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी पत्र कमांक/स्था.-3/सतर्कता/एच3/16/रीवा/2016/757 भोपाल दिनांक 02.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में माननीय श्री संजय द्विवेदी जी उपमहाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 के संबंध में अभिमत चाहा गया, जिस पर माननीय उपमहाधिवक्ता द्वारा मौखिक चर्चा में निर्देशित किया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2016 में जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण किये जाने के आदेश पारित है ऐसी स्थिति में प्रकरण में अभिमत की आवश्यकता नही है। आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 28.03.2016 का माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 के परिपालन में परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि म0प्र0मूलभूत नियम 54 (ए) के तहत आपराधिक मामलों में दोषसिद्ध पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा पूर्व में आपको सेवा से पदच्यूत किये जाने संबंधी जारी आदेश कमांक/सतर्कता/न्या.प्रकरण/2005-06/1699 रीवा दिनांक 27.01.2006 नियमों की परिधि में जारी किया गया है। वर्तमान में आपको पुनः सेवा में लिये जाने का कोई पर्याप्त आधार नही है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2016 के परिपालन में आपके द्वारा पुनः शासकीय सेवा में बहाल किये जाने से संबंधित इस कार्यालय को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आपको पुनः सेवा में बहाल किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नही है। एतद् द्वारा प्रकरण निराकृत किया जाता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा म0प्र0

पृ0क्र0/न्यायालयीन प्रकरण/2017/199 रीवा दिनांक 06-07-2017
प्रतिलिपिः-

1:- आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0भोपाल की ओर भवदीय के पत्र कमांक/स्था.-3/सतर्कता/एच3/16/रीवा/2016/757 भोपाल दिनांक 02.05.2017 के अनुकम में सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2:- कलेक्टर जिला रीवा म0प्र0।
3:- संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा म0प्र0।
4:- सतर्कता/स्थापना कक्ष प्रभारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा म0प्र0

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(क्र - 4)